

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. 2004/टेली/14(3)/1

नई दिल्ली दिनांक 13.05.2013

महाप्रबंधक,  
सभी भारतीय रेलें।

टेलीकॉम परिपत्र सं. 14/2013

विषय: एसएमएस अलर्ट के लिए टैरिफ।


इस तथ्य को देखते हुए कि भारतीय रेलों पर बड़ी संख्या में ग्राहक-हेल्पडेस्क की योजना बनाई जा रही है, अतः इस प्रकार के हेल्पडेस्क सेवा के कार्यान्वयन के लिए एक समान नंबर स्कीम को अनुमोदित किया गया है।

अनुमोदित नंबर योजना निम्नानुसार है:-

नंबर	नाम	सेवा
1320	भारतीय रेल शिकायत रजिस्ट्रेशन सेवा	एसएमएस एवं वॉइस
1321	भारतीय रेल खानपान हेल्पडेस्क	केवल वॉइस
1322	भारतीय रेल सुरक्षा हेल्पलाइन	केवल वॉइस
1323-29	भविष्य में रेलवे के उपयोग के लिए आरक्षित	-

इस योजना को दूरसंचार विभाग, दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त है।

संलग्नक: यथोक्त।

  
(राकेश रंजन)

निदेशक (दूरसंचार)  
रेलवे बोर्ड

दूरभाष: 011-23388504, 030-44613

फैक्स: 011-23304690, 030-44690

ई मेल: dtele@rb.railnet.gov.in

प्रतिलिपि प्रेषित:-

- अपर सदस्य/वाणिज्य एवं अपर सदस्य/आईटी - सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रबंध निदेशक/क्रिस - नई स्कीम के अनुसार 132 से 1320 के संबंध में बनायी गई सेवा को अपनाना।